

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

पत्रांक /

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

सेवा में,

वरीय लेखा-परीक्षा अधिकारी,
शहरी स्थानीय निकाय/समाजिक प्रक्षेत्र-1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक

विषय :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-288/17-18, 1769/15-16, 152/10-11, 21/11-12 एवं
450/12-13 का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विगत पाँच वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित

समर्पित किया जा रहा है।

कृपया स्वीकार करना चाहेगें।

विश्वासभाजन,

—

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक.....25/दिनांक.....04.02.19

प्रतिलिपि :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यालय नगर निगम, पुणे

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-288 / 2017-18

भाग-1 (प्रस्तावना)

क्र० सं०	(कडिका) पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
2	2	लेखा की अवधि	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
3	3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
4	4	लेखा परीक्षा की तिथि	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
5	5	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
6	6	निरीक्षण अधिकारी का नाम	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
7	7	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।	
8	8	व्यापक कार्यालय प्रधान के साथ विचार विमर्श किया गया था	अनुपालन की आवश्यक नहीं।	
भाग-11 (क)				
9	01	13वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का विचलन कर अनुपयोगी उपकरण के रूप में बड़ा पानी टैंकर (ट्रक माउन्टेड स्टील वाटर टैंक) के क्रय पर निष्कल व्यय राशि रुपये 82.85 लाख	भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त की राशि के व्यय हेतु निर्धारित दिए गए मापदंड जो नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं०-3253 दिनांक-27.10.14 से संशुद्धित है, के अलावा में शहरी इलाकों के वैसे क्षेत्रों में आम लोगों के बीच शुद्ध पेयजल (आयन रहित) की आपूर्ति की जानी थी, जहाँ तत्काल स्थायी व्यवस्था किया जाना संभव नहीं था इस संदर्भ में बोर्ड तथा सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा में ही 13वें वित्त की राशि से तीन बड़े माउन्टेड स्टील वाटर टैंकर की खरीद जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया। इन तीनों का उपयोग शहर में होने वाले शादी एवं श्राद्ध के साथ साथ बैठकों एवं अन्य विशेष आयोजनों के अवसर पर भी किया जाता है, जिससे निगम को नियमित रूप से शुल्क के तौर पर राशि भी प्राप्त होती है। ऐसे भी आम लोगों के बीच शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक है।	

(Handwritten signature)

1/6

Municipal Corporation

क्र० सं०	(कडिका) पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्त
	2	3	4	5
भाग-11 (ख)				
10	02	नरया स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लिये जाने के कारण राशि रु० 41 10 लाख की हानि	अंकेक्षण में उद्यत दर भूमि विकास के साथ एक से अधिक भवन के निर्माण हो तो परमिट के साथ विकास शुल्क वसूलनीय है।	साक्ष्य
11	03	13वीं वित्त आयोग की राशि का प्रशासनिक मद में विचलन 3.50 लाख एवं फागिंग मशीन के क्रय पर व्यय राशि 11.83 लाख	अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में सफाई व्यवस्था मद में नगर निधि से भुगतान कर विचलन का समायोजन कर लिया गया है।	साक्ष्य
12	04	आउटसोर्सिंग से करायी गयी सफाई पर व्यय रूपये 77.76 लाख	एन०जी०ओ० द्वारा वर्ष 2007 से ही सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर मजदूरी के दर में वृद्धि के आधार पर ही दर की बढ़ोतरी की गई है। वर्षों अन्तर्गत के उपरान्त ही श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्धारित मजदूरी के अनुसार ही दर में बढ़ोतरी की गयी है।	
13	05	वाहन के निबन्धन में विलम्ब किए जाने के कारण परिहार्य व्यय रूपये 19689/-	प्रक्रिया के विलम्ब के कारण निबन्धन में विलम्ब हुआ तथा राशि भी सरकार के खाता में ही जमा हुआ।	
14	06	आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित राशि में पारदर्शिता का अभाव राशि रूपये 1266.44 लाख	आपदा विभाग के निदेशानुसार प्राप्त राशि का वितरण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिसका मूल अभिश्रव भी समर्पित कर दिया गया है, जिस पर आपदा विभाग द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी।	
15	07	धृति कर शास्त्रि (विलंब शुल्क) की कम वसूली / वसूली नहीं राशि रूपये 2.18 लाख	निर्देशित कारवाई कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।	
16	08	मोबाईल टावर का बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की कुल राशि रूपये 161 71 लाख की वसूली नहीं	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वसूली की जा रही है।	साक्ष्य
17	09	बकाया सम्पत्ति कर रूपये 644.34 लाख	बकाया सम्पत्ति कर की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।	साक्ष्य
18	10	अपरिशिष्ट प्रबंधन हेतु भाड़े के वाहन रखने में अनियमितता रूपये 3.16 लाख	कार्य की अधिकता एवं आवश्यकता को ही देखते हुए बाजार दर पर वाहन रखना पड़ा।	
19	11	सेवाकर की वसूली नहीं रूपये 2.45 लाख	इस संबंध में सरकार अथवा अंकेक्षण दल से कोई रिशा निर्देश प्राप्त नहीं रहने के कारण वसूली नहीं की जा सकी।	
20	12	निधियों का अवरोधन रूपये 12.60 लाख	जाँचापरान्त कार्रवाई की जा रही है।	

क्र० सं०	(कडिका) पारा सं०	अंकेक्षण आपति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
21	13	शिवम जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र को सफाई कार्य हेतु भुगतान एवं वाहन चालक पारिश्रमिक भुगतान पर आयकर कटौती नहीं किया जाना रु० 1.98 लाख	संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष आयकर का रिटर्न दाखिल किया जाता है। इससे सम्बंधित साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है।	साक्ष्य संलग्न
22	14	बकाया दुकान किराया रूपये 13.69 लाख	नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानों के लिए बकाये किराये की वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नोटिस भी निर्गत किया गया है। नमूने के तौर पर निर्गत किये गये नोटिस की छायाप्रति भी संलग्न किया जा रहा है।	साक्ष्य संलग्न
23	15	अग्निम का समायोजन लंबित रूपये 64.01 लाख	43.86 लाख रु० अग्निम का समायोजन कर लिया गया है, शेष अग्निम के समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।	साक्ष्य संलग्न
24	16	योजना क्रियान्वयन में अनियमितता रु० 1.87505 लाख	(1) चूँकि यह क्षेत्र नगर निगम गठन के पूर्व देहाती क्षेत्र (पंचायत) में था, तथा निर्माण स्थल के अगल बगल आदिवासी की आबादी है। प्राककलन तैयार करने के समय सड़क की चौड़ाई 10 फीट था तथा 10 फीट चौड़ाई का ही प्राककलन तैयार किया गया था तथा संवेदक द्वारा सड़क पर 12 फीट X 12 फीट X 2.6 इंच का मिट्टी कार्य कराया गया। मिट्टी कार्य कराने के उपरान्त ईट सौलिंग के समय आदिवासियों द्वारा सड़क के भूमि को अतिक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। काफी प्रयास करने के उपरान्त भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। आम नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 4 से 5 फीट चौड़ाई में ही ईटकरण कार्य कराया गया। (2) उक्त स्थल पर सड़क के दोनों तरफ कच्ची सड़क 08 फीट की चौड़ाई में ही है जिसमें कच्ची होने के कारण सड़क की मिट्टी बरसात में गाड़ी के आवाजाही के कारण जगह जगह पर गड्ढे में तबदील हो गया था। आवश्यकतानुसार सड़क में मिट्टी का कार्य कराया गया तथा आम नागरिकों का दोनो तरफ पक्का दिवार रहने के कारण दिवार से सटा कर ईट सौलिंग का कार्य किया गया।	
25	17	बिना एम तथा एन प्रपत्र के दुलाई मद में भुगतान रु० 3.35 लाख	सॉयल्टी की कटौती कर संबंधित कोष में जमा कर दिया गया है।	
26	18	बगौर एम०एन० प्रपत्र लिये दुलाई मद में भुगतान रु० 3.17 लाख एवं गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान रु० 2788	सॉयल्टी की कटौती कर संबंधित कोष में जमा कर दिया गया है।	साक्ष्य संलग्न

24/12/19

क्र० सं०	(कड़िका) पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
27	19	सामग्री के क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं	मरम्मा हेतु तीन दुकानों से सामग्री के दर की जानकारी प्राप्त कर निम्न दर वाले दुकान से क्रय कर गाड़ी की मरम्माि करायी गयी।	
भाग-III (TAN)				
28	1	सामग्री / उपकरण क्रय में बिहार वित्तीय नियमावली का पालन नहीं	सरकार के पत्र के आलोक में अगल बगल के निकाय के स्वीकृत दर पर क्रय किया गया है।	साक्ष्य संलग्न
29	2	आउटसोर्सिंग पर कार्यरत नगर निगम वाहन चालक का पारिश्रमिक भुगतान राशि रू० 21.27 लाख	बढ़ते क्षेत्र एवं आबादी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग के आधार पर वाहन चालक को रखा गया है तथा पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।	
30	3	सैरलों की बंदोबस्ती / वसूली वर्ष 2015-16	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
31	4	फर्निगींग मशीन के लॉगबुक में मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयोग किये गये रसायन / दवाई का उपयोग नहीं	अंकेक्षण दल के सुझाव का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है।	
32	5	वित्तीय विवरण तथा तुलनात्मक विवरणी	31 मार्च की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में वित्तीय विवरण तथा तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जाता है।	साक्ष्य संलग्न
33	6	बजट प्राक्कलन	बिहार नगरपालिका लेखानियमावली 2014 के प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है।	
34	7	ट्रेक्टर का माइलेज 1 किमी० / ली० से भी कम होना	नगर निगम पूर्णियाँ द्वारा ट्रेक्टर में लगे घंटा मीटर के हिसाब से डीजल की आपूर्ति की जाती है। खराब मिट्टियों की मरम्माति समय-समय पर कार्ड जाती है।	
35	8	वाहन का माइलेज मीटर खराब होना	सुझाव के आलोक मे मीटर की मरम्माति करा ली गयी है।	
36	9	कूड़ा संग्रह केन्द्र निर्धारित ना होना	स्थल का चयन कर लिया गया है संबंधित विभाग (राजस्व) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है।	
37	10	आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया जाना	1. राशि की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग से पत्राचार किया गया है। 2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सफल संचालन हेतु यथा सबके लिए आवास, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के कार्य तैपर्टाप के माध्यम से कार्य हो रहा है।	साक्ष्य संलग्न
38	11	एक से अधिक बैंक खाताओं का संचारण एवं चालू खाता खोले जाने से ब्याज की प्राप्ति नहीं होना	संबंधित खाता बन्द कर दिया गया है।	साक्ष्य संलग्न

क्र० सं०	(कांडिका) पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
39	12	क्रय से संबंधित सचिका उपलब्ध नहीं कराया जाना	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13	अप्रस्तुत अभिलेख		
	13 (1)	पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (2)	वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (3)	वाहन मरम्मत से संबंधित सचिका	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (4)	आय-व्यय विवरणी	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (5)	चतुर्थ राज वित्त आयोग, चौदहवीं वित्त आयोग से संबंधित संपूर्ण अभिलेख	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (6)	13वीं वित्त योजना से संबंधित आंशिक अभिलेख	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
40	13 (7)	परिसंपत्ति पंजी, डिपॉजिट पंजी	नगर निगम के नाम से एम0एस0 सर्वे में दर्ज भूमि के साथ साथ संरचनात्मक ढांचों तथा दुकान/बाजार से संबंधित, अलग अलग परिसम्पत्ति पंजी के संधारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।	
	13 (8)	टिन-टिकट से संबंधित सचिका	नगर निगम द्वारा ठेला रिक्शा के परिवहन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एम0आर0 विविध रसीद के माध्यम से निर्धारित शुल्क की नियमित वसूली की जाती है। इससे संबंधित सचिका प्रभारी कर्मियों की देख रेख में विधिवत रूप से संधारित है, जिसका कभी भी अवलोकन किया जा सकता है।	
	13 (9)	कोर्ट केस से संबंधित सचिका	कोर्ट केस से संबंधित पंजी कार्यालय में विधिवत रूप से संधारित है। साथ ही स्वरूप इसके प्राथमिक पृष्ठों की छायाप्रति भी संलग्न किया जा रहा है।	साक्ष्य संलग्न
	13 (10)	शिकायत पंजी	पंजी संधारित कर दिया गया है।	
	13 (11)	चेक निर्गत पंजी	अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।	
	13 (12)	एम0आर0 16801 से 16900 तथा 25201 से 25300	एम0आर0 रसीद संख्या-25201 से 25300 अगले अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कर लिया गया है। संग्रहण कार्या द्वारा रसीद संख्या-16801 से 16900 तक का वसूल की गयी राशि निगम कोष में जमा कर दी गई है तथा वित्त विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा देखा जा चुका है, साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा उपरोक्त रसीद से वसूल कर निगम कोष में जमा किये जा रहे चालान का जाँच कर लिया गया है।	साक्ष्य संलग्न

5/6

Municipal Commissioner
Municipal Corporation
PUNE

